राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 781वी बैठक दिनांक 12.04.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 781वी बैठक दिनांक 12.04.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9758/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
2.	9658/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9744/2023	1(c)	सिचाई परियोजना	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	9745/2023	1(c)	सिचाई परियोजना	For ToR	ToR स्वीकृत
5.	9757/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
6.	9764/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
7.	9769/2023	1(c)	सिचाई परियोजना	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	9225/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9127/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
10.	6663/2019	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
11.	9043/2022	1(a)	डोलोमाईट एवं क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	7570/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	Delisted
13.	9610/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	8694/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
15.	9558/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
16.	5617/2017	1(a)	लाईमस्टोन व डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	परिवेश पोर्टल पर संशोधन हेतु आवेदन
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
17.	6214/2019	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
18.	489/2012	1(a)	लाईमस्टोन व डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
19.	1726/2013	1(a)	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20.	9251/2022	1(a)	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
21.	9030/2022	1(a)	मैगनीज ओर खदान	ToR में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
22.	भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 अनुसार कोविड–19 महामारी के कारण पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि के संबंध में निर्णय बावत्।				

1. **प्रकरण क्र 9758/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम रूपेटा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 167/1/24, ग्राम ग्राम रूपेटा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों का खुदा हुआ एरिया एवं खदान से लगी हुए कंटूर ट्रेंचेस भी परिलक्षित है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 423 दिनांक 03.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान नहीं होने का लेख किया गया है।

अतः कलेक्टर, जिला सीहोर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट जानकारी 15 दिवस में SEIAA को प्रेषित की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र 9658/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9 ए, पैरामाउट विला, अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, ((ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 672, ग्राम कदारी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर,(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

   I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **चेक डेम से दोनो ओर न्यूनतम 250 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

   II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनुशंसित उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 27000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् 0.63 हे. में 02 मीटर की गहराई तक किया जाये।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 06.90 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**1000**
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया–इच्छुक ग्रामीणों के खेत) मे	कट्ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ वन विभाग के सुझाव अनुसार	**600**
3	ग्राम कदारी के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**200**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

योग	1800

VIII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम कदारी के शासकीय हाई स्कूल में 01 कम्प्युटर, प्रिंटर टेबल के साथ प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

X. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9 ए, पैरामाउट विला, अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, ((ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 672, ग्राम कदारी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क्र. 2036 दिनांक 26.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. **Case No 9744/2023** Prior Environment Clearance for Jhirniya Micro Lift Irrigation Project in an area of 39,520 ha.(CCA), Gross command area (GCA- 53969 Hectare, at 86 villages of Jhirniya Tehsil of Khandwa and Pandhana Tehsil of Khargone (MP) by Shri Babulal Mandloi, Executive Engineer, Narmada Valley Development Authority, Division-21, Sanawad, Khargone (MP) -451111 Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects].

1. झिरनिया माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा की झिरनिया तहसील और खरगोन की पंधाना तहसील के 86 गांवों में 39,520 हेक्टेयर (सीसीए)कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रस्तावित है।

2. योजना क्षेत्र मध्य प्रदेश के खरगोन और खंडवा जिले में स्थित है। आपूर्ति स्रोत यानी आईएसपी जलाशय, पंप हाउसों का लिफ्टिंग पॉइंट और तपेपदह उंपद निमाड़ क्षेत्र के खरगोन जिले में स्थित है। खरगोन जिले के दाउदवा गांव के पास आईएसपी मुख्य नहर से आरडी 39.80 किमी पर पानी लिफ्ट किया जायेगा ।

3. प्रस्तावित योजना स्टोरेज योजना नहीं है इसलिए कोई भी भूमि submergence नहीं होगी।

4. नहर प्रणाली भूमिगत पाइपों के माध्यम से प्रस्तावित है, (जमीनी स्तर से न्यूनतम 1 मी.नीचे), इस प्रकार पाइप लाइन डक्ट अधिनियम के तहत कोई भूमि स्थायी रूप से अधिग्रहित नहीं की जाएगी, केवल अस्थायी भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।केवल पम्प हाऊस, राइजिंग मैन, पम्प हाऊस तक पहुँच मार्ग (यदि आवश्यक हो) एवं पम्प हाऊस पर भवन निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

5. झिरनिया माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के घटकों और पहुंच सड़कों के विकास के लिए लगभग 17.0 हेक्टेयरवन भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसलिए, वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण से फारेस्ट क्लीयरेंस लिया जाना अनिवार्य है।

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 21 से 25 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632 वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitivearea , forestarea से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

iii. site specific management plan का विस्तृत अध्यन कर EIA में उल्लेख करे ।

iv. sand की कमी को देखते हुए sandके पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे ।

v. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।

vi. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या controlmeasures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।

vii. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIAमें करे।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **Case No 9745/2023:**Prior Environment Clearance for Handia Barrage Project in an area of 35,000 ha. CCA, GCA44,668 ha., Hydropower Generation-25 MW, Length of the Dam (m) - 777meters, No. of Turbine Generating unit (MW) -05 nos. Total design discharge -1.75 Cumec., at Kundgaon Khurd village Dewas and Harda (MP)by Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, Narmada Development Division-23, 59, Arera Hills, NVDA, Narmada Bhawan, Bhopal (MP)-462027. Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects].Env. Consultant from M/s. MITCON, Pune

1. हंडिया बैराज परियोजना कुंडगांव खुर्द गांव देवास और हरदा (एमपी) में सीसीए 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी का प्रकरण है।

2. प्रस्तावित हंडिया बैराज परियोजना का निर्माण देवास जिले के ग्राम कुण्डगाँव खुर्द के निकट मुख्य नर्मदा नदी पर किया जायेगा। हंडिया बैराज परियोजना की 140.93 एमसीएम की gross capacity के साथ मध्य प्रदेश के देवास और हरदा जिलों के 72 गांवों में 35,000 हेक्टेयर सीसीए को पूरा करने की योजना है। परियोजना के बाएँ किनारे पर हंडिया तहसील जबकि दाहिने किनारे पर खातेगाँव तहसील होगी।

3. परियोजना हेतु 200 haभूमि की आवश्यकता है तथा इस परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं है

4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 26 से 29 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632 वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य

(मुजीबुरहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitivearea , forestarea से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

iii. site specific management plan का विस्तृत अध्यन कर EIA में उल्लेख करे ।

iv. sand की कमी को देखते हुए sandके पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे ।

v. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।

vi. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या controlmeasures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।

vii. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIAमें करे।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाय

5. प्रकरण क्र 9757/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिंगरौली मिनरल्स प्रोडक्ट प्रा.लि. निदेशक, श्री नारायण दास वैश्य, निवासी गदसा, पोस्ट पोंडी नौगई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45230 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 290, 291, ग्राम फुलवारी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वियन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र 9764/2023 **परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अरूणा सिंहारे पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार सिंहारे, निवासी– नियर सेल टैक्स आफिस, सिविल लाईन, मंडला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 70050 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.60 हेक्टेयर, खसरा 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 20/5, ग्राम भवंरताल, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **Case No 9769/2023:Prior Environment Clearance for Raghavpur Multi-Purpose Project and 25 MW Powerhouse in an area of over CCA of 17587 ha. Gross command area - 25124 ha, Irrigable command area-17587 ha, Dam length580.00 m dam maximum height of 61.00 m, Gross storage 645.20 MCM, Live storage of 489.96 MCM at Village-Marwari, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) by Shri Mool Maravi, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 2, Civil Line, Near SBI Bank, District-Mandla (MP)-481661. [under River Valley and Hydroelectric Projects]Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana)**

   1. उक्त राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना गांव–मारवाड़ी, तहसील–शाहपुरा, जिला–डिंडोरी (एमपी) में ।17587 हेक्टेयर सीसीए से अधिक क्षेत्र में और 25 मेगावाट पावर हाउस के साथ (नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के तहत) पूर्व पर्यावरण मंजूरी हेतु प्रस्तावित है।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

2. राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना साइट डिंडोरी से लगभग 50 किमी दूर और मंडला जिला मुख्यालय से 108 किमी दूर स्थित है।एनडब्ल्यूडीटी अवार्ड के अनुसार मध्य प्रदेश के हिस्से के पानी के पीने और सिंचाई के लिए नर्मदा के पानी को स्टोर और वितरित करने के लिए अन्य परियोजनाओं के साथ–साथ बरगी प्रणाली के हिस्से के रूप में एनवीडीए द्वारा परियोजना की योजना बनाई गई है।

3. नर्मदा नदी का बेसिन बहुत तेजी से निकलता है जिससे आसपास के क्षेत्रों में सतह और भूजल की कमी हो जाती है। इस क्षेत्र को जल से समृद्ध किए बिना कृषि, औद्योगिक और अन्य गतिविधियों में कोई और विकास संभव नहीं है। प्रमुख भण्डारों के निर्माण से वर्तमान पिछड़े क्षेत्र का विकास संभव है।इस क्षेत्र में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है इसलिए दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करने के साथ–साथ निचले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण की समस्या को हल करने के लिए यह योजना आवश्यक है।

4. परियोजना में चार मुख्य घटक शामिल हैं, जैसे हेड वर्क्स (Earthen Dam with Central Spillway and Appurtenant Works), पंप हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन चैंबर, प्रेशराइज्ड कैनाल वर्क्स और पावर हाउस।17587 हेक्टेयर सिंचाई के लिए 62.60 किमी Pressurized Pipe System माइक्रो नेटवर्क सिस्टम के साथ प्रस्तवित है।

5. निजी भूमि के डूबने से लगभग 957 परिवार प्रभावित होंगे, जिन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

6. चूँकि परियोजना में 12.00 ha शामिल है।इसलिए, वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण से फारेस्ट क्लीयरेंस लिया जाना अनिवार्य है।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 32 से 38 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632 वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा Eco Sensitivearea, Forestarea से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

iii. Site Specific Management Plan का विस्तृत अध्यन कर EIA में उल्लेख करे ।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

iv. Sand की कमी को देखते हुए sandके पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे ।

v. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।

vi. संचालन अवधि के दौरान Marshy Land की स्थिति बनने पर क्या Controlmeasures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।

vii. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIA में करे।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9225/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश पाटीदार आत्मज श्री कन्हैयालाल पाटीदार निवासी 697, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.)–453441, द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.028 हेक्टेयर, खसरा 1304/1, 1304/2, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 757वी बैठक दिनांक 18.11.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

"........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि इन्दौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को पूर्व निर्णयुनसार Delist यथावत रखा जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 18.03.2023 के माध्यम से इंदौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत कर प्रकरण को Relist कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 593वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) खनिज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी इन्दौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	नीम,सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य प्रजातियाँ।	1100
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	नीम,करंज,चिरोल,खमेर एवं अन्य प्रजातियाँ।।	100
		कुल वृक्षारोपण	1200

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम महू के श्री राधाकृष्ण गौशाला में पेयजल हेतु पानी की उचित व्यवस्था की जाये एवं छायादार प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश पाटीदार आत्मज श्री कन्हैयालाल पाटीदार निवासी 697, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.)–453441, द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.028 हेक्टेयर, खसरा 1304/1,1304/2, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर का पत्र क्र. 626 दिनांक 08.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.03.2032 तक मान्य रहेगी।

9. **प्रकरण क्र 9127/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ध्रुव कन्स्ट्रशन, प्रो. श्री अभिलाष पाण्डे, प्लाट नं. ए–21, स्वास्तिक ग्रीन सिटी, जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 9793 घनमीटर प्रतिवर्ष से 115000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा 18/1 पी, ग्राम ढोलर, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 771वी बैठक दिनांक 03.02.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वी बैठक दिनांक 07.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

"........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित सरफेस प्लान परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन में दिनांक 27.03.2023 के माध्यम से अनुमोदित पुनरीक्षित सरफेस प्लान परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 598वी बैठक दिनांक 07.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से न्यूनतम 100 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– सिस्सू , चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, पीपल, बरगद, करंज, खमेर आदि।	1000
2.	परिवहन मार्ग (**पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई** 01 **मीटर**)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद , चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	480
3.	ग्राम बांधवा टोला जयसिंहनगर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज,, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	300
4.	ग्राम ढोलर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	100
5.	ग्राम कनाडी खुर्दो में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	200
6.	ग्राम कौवासराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल ,आवला करंज आदि।	250
7.	ग्राम ढोलर में स्थित मुक्तिधाम परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	250
8.	गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– बरगद , पीपल , आवला , रीठा , कदम , नीम , करंज, सुबबूल आदि।	2035
9.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– :– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	2585
		कुल	7200

(सुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम ढोलर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोलर लाईट की स्थापना एवं 02 बेड, 03 स्ट्रेचर और 04 व्हील चेयर प्रदान की जाये।
- ग्राम ढोलर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था एवं फर्नीचर (10 बेंच एवं डेस्क) प्रदान किये जाये।
- उज्ज्वला योजना के तहत खदान कर्मियों को 10 सोलर कुकर का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ध्रुव कन्स्ट्रशन, प्रो. श्री अभिलाष पाण्डे, प्लाट नं. ए–21, स्वास्तिक ग्रीन सिटी, जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 9793 घनमीटर प्रतिवर्ष से 115000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा 18/1 पी, ग्राम ढोलर, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 4589–90 दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.03.2027 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र. 6663/2019 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री शरद कुमार जैन, निवासी 305, मालवीय गंज, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलामाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20170 टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.92 हेक्टेयर, खसरा 402, 412, 413, ग्राम सलैया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 771वी बैठक दिनांक 03.02.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

"........राज्य प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि जिला कटनी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं हुआ है। अतः प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 01.04.2023 के माध्यम से कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत कर प्रकरण को Relist कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01/09/18 की गई अनुशंसा अनुसार दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 10 पेड़ो में से काटे जाने वाले 01 पेड़ो के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

ष	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, पीपल, नीम, कास्टर, खमेर, चिरौल, बबूल, और अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ।	2500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	बरगद, चिरौल, नीम, पीपल, करंज और अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा सुझाई गई प्रजातियां।	800

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्‌ट)
अध्यक्ष

3	ग्राम सलैया के प्राथमिक विद्यालय में	अमलतास, सीताअशोक, नीम, कचनार, पुत्रजीवा, मौलश्री और अन्य सजावटी पौधों इत्यादि।	20
4	ग्राम सलैया के ग्रामवासीयों वितरण हेतु	अमरूद, बेर, जामुन, आंवला, आम,, मूनगा, और अन्य फलदार पौधों की प्रजातियों और औषधीय पेड़ हर्रा, बहेड़ा, इत्यादि।	1400
		कुल	4720

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सलैया के शासकीय स्कूल में 01 कम्पयूटर मय टेबल के साथ प्रदान किया जाये।
- ग्राम सलैया में पेयजल के लिए 01 सबमर्सिबल व हैंड पंप की स्थापना की जाये।
- उज्जवला योजना के तहत खदान के श्रमिकों को सोलर कुकर/एलपीजी गैस सिलेंडर की वितरित किये जाये।
- परियोजना क्षेत्र के चारों ओर गेम प्रूफ फेंसिंग की व्यावस्था की जाये।
- ग्राम सलैया के पास सड़क की मरम्मत व रखरखाव किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री शरद कुमार जैन, निवासी मालवीय गंज, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलामाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20170 टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.92 हेक्टेयर, खसरा 402, 412, 413, ग्राम सलैया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.)। म.प्र. खनिज साधन विभाग, भोपाल का आदेश क्र. 565 दिनांक 06.02.2018 के माध्यम से उक्त खदान को 07.01.2095 से 06.01.2045 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.01.2045 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. प्रकरण क्र. 9043/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजी मार्बल एंड टाईल्स प्रा.लि. निवासी 11–12, डन मार्केट, जबलपुर रोड़, वरगवां, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट एंड क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3,01,999,40 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 135, 136, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम वडागांव, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 776वी बैठक दिनांक 02.03.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिला कटनी की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 04.04.2023 के माध्यम से कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र मे मौजूद 06 वृक्षो को काटा नहीं जायेगा एवं रखरखाव व संरक्षण किया जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2,000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम पंचायत बड़ागाँव))	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बड़ागाँव के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
4.	ग्राम पंचायत बड़ागाँव के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		कुल	**4000**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- ग्राम बड़गांव के शासकीय प्राथमिक शाला में 20 बेंच व 05 कुर्सियां प्रदान की जायें।
- ग्राम बड़गांव के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजी मार्बल एंड टाईल्स प्रा.लि. निवासी 11–12, डन मार्केट, जबलपुर रोड़, वरगवां, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट एंड क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3,01,999,40 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 135, 136, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम वडागांव, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 17383–84 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 30 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.12.2051 तक मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 7570/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश बंसल आत्मज श्री कचरूमल बंसल, निवासी 13, रामकृष्णगंज, अनाज मंडी के पीछे, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1189, 1190, 1214, रकबा 7.490 हेक्टेयर, ग्राम देशगांव, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड KML फाईल के अक्षांश देशांश एवं प्रस्तुत माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश तथा DSR के अक्षांश देशांश का मिलान नहीं हो रहा है जिस कारण गूगल ईमेज पर पर्यावरण संवदेशीलता का आकलन नहीं हो पा रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त के संबंध में 15 दिवस में स्पष्टीकरण एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार सही अक्षांश देशांश की KML फाईल परिवेश पोर्टल एवं ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार सही अक्षांश देशांश की KML फाईल प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा में कि प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई है जिसका अभीतक निराकरण नहीं हुआ है, अतः प्रकरण से संबंधित शिकायत का बिन्दुवार एजेण्डा तैयार कर आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुत किया जाये तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 9610/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चित्रकुट क्रसिंग कार्पोरेशन, पार्टनर श्री अर्पित जैन आत्मज श्री अनिल कुमार जैन, निवासी 13, नगर निगर काम्प्लेक्स, हास्पिटल रोड़, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 95418 व एम सेण्ड 143127 घन मीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 24/1/1, 24/1/3, 24/1/4, 23/2/1, 23/2/23, 22, 27/6, रकबा 4.946 हेक्टेयर, ग्राम खैरवा, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर परिलक्षित है। अतः जिला खनिज अधिकारी से प्रस्तावित खनन क्षेत्र के वास्तविक अक्षांश देशांश तथा खदान से उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी दूरी पर स्थित है की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से जिला खनिज अधिकारी का पत्र क्र. 662 दिनांक 31.03.2023 प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

(i) खनिज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से **अंतर्राज्यीय सीमा से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 पेड़ो में से काटे जाने वाले 03 पेड़ो के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 30 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद मुनगा व अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉं।	4000
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01मी.)	नीम, पीपल, चिरौल, सेमल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं,	180
3	खेरवा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद ।	1800
4	शासकीय विद्यालय खेरवा में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
		योग	6000

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत खेरवा के शासकीय स्कूल में 01 कम्प्यूटर, 10 टेबल एवं 10 कुर्सी तथा वैज्ञानिक उपकरण प्रदान किये जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चित्रकुट क्रसिंग कार्पोरेशन, पार्टनर श्री अर्पित जैन आत्मज श्री अनिल कुमार जैन, निवासी 13, नगर निगर काम्प्लेक्स, हास्पिटल रोड़, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 95418 व एम सेण्ड 143127 घन मीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 24/1/1, 24/1/3, 24/1/4, 23/2/1, 23/2/23, 22, 27/6, रकबा 4.946 हेक्टेयर, ग्राम खैरवा, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 15831—33 दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.11.2032 तक मान्य रहेगी।

14. **प्रकरण क्र. 8694/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 239 भाग, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

भोपाल जिले के मालीखेड़ी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के संबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 में समाचार प्रकाशित हुए है। उक्त प्रकरण भी मालीखेड़ी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। अतः कलेक्टर जिला भोपाल से 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि इस क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं है। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल का पत्र क्र. 2066 दिनांक 20.05. 2022 प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में SEIAA की 776वी बैठक दिनांक 27. 03.2023 में लिये गये निर्णयानुसार क्या ग्राम मालीखेडी में नये खनन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति

(मुजीबुरहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

प्रदान किया जाना उचित है अथवा नहीं के संबंध मे कलेक्टर, जिला भोपाल से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 9558/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी, श्री सुनील जैन, निवासी फिरोजपुर, झिरका मेवात, हरियाणा द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 171/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बाजना, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 02 पेड लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटा जायेगे तथा उनके एवज में 10 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 07.04.2023 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी मय अक्षांश देशांश के प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर एकल प्रमाण पत्र जिला शिवपुरी का अपलोड है। अतः परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित खदान का एकल प्रमाण पत्र ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर 10 दिवस में प्राप्त किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 5617/2017 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे निवासी खरे बिल्डिंग गांधीगंज पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र) द्वारा लाईम स्टोन व डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25,266 टन प्रतिवर्ष रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 503, नवीन 867, 955, ग्राम रूपोंध, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 589वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई जिसे **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत मान्य करते हुए 757वी बैठक दिनांक 18.11.2022 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लेते हुए दिनांक 30.11.2022 को जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 17.03.2023 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 30.11.2022 की विशिष्ट शर्त क्र. 3 में संशोधन करते हुए ब्लास्टिंग किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक यदि पर्यावरण स्वीकृति में कोई संशोधन चाहता तो परिवेश पोर्टल पर Amendment of EC हेतु आवेदन करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

17. **प्रकरण क्र. 6214 /2019 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ काली स्टोन केशर श्री गौरव राठौर (पार्टनर) निवासी बैतूलगंज जिला बैतूल (म.प्र)– 485771, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21,6,60 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 327/1 ग्राम सेहरा, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन।**

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 556वी बैठक दिनांक 13.06.2019 द्वारा SEAC की 371वी बैठक दिनांक 21.05.2019 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में (परिशिष्ट–ए) एवं अतिरिक्त शर्तों के साथ पत्र क्र. 1454 दिनांक 02.07.2019 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म–4 में ऑनलाईन आवेदन कर **मेसर्स मॉ काली स्टोन केशर श्री गौरव राठौर (पार्टनर) के स्थान पर मेसर्स मॉ काली स्टोन केशर श्री विवके मालवीय एवं अन्य (पार्टनर) का नाम अंकित** किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति **पत्र क्र. 1454 दिनांक 02.07.2019 में मेसर्स मॉ काली स्टोन केशर श्री गौरव राठौर (पार्टनर) के स्थान पर मेसर्स मॉ काली स्टोन केशर श्री विवके मालवीय एवं अन्य (पार्टनर) का नाम पठन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

18. **प्रकरण क्र. 489/2012 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एन.एस., (मिनिरल्स) प्रा. लि. श्री हिमान्शु कोठारी कार्यपालन संचालक, पता एन.एच.–7 रीवा रोड, पोस्ट मैहर जिला सतना (म.प्र)– 485771, द्वारा लाईमस्टोन उवं डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 10,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष से 2,00,000 टन प्रतिवर्ष रकबा 8.584 हेक्टेयर, खसरा 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 684, 744, 745, 746,748, 787/1, ग्राम जमुनी कला, तहसील विजयराघौगढ, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 675 वी बैठक दिनांक 08. 04.2021 :

This is a case of amendment in the name of a company in the Prior EC Letter. Shri S.P. Tiwari, Director, M/s S.N.S. (Minerals) Pvt. Ltd., N.H.-7, Rewa Road, P.O. Maihar, Dist-Satna (MP) vide letter no. nil dated 22.03.2021 has informed that:

1. **The Prior EC Letter for Mining Lease of Bhatoora Limestone Mine at Village-Bhatoora, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP) granted to M/s S.N.S. (Minerals) Pvt. Ltd., N.H.-7, Rewa Road, P.O. Maihar, Dist-Satna (MP) vide Letter No. 3380/SEIAA/15 dated 04.02.2015.**
2. That the constitution of the company has changed form public limited to private limited and as such the name of the company has been changed form M/s S.N.S. (Minerals) Limited to S.N.S. (Minerals) Private Limited with due approval from shareholders and National Company Law Tribunal vide order dated 14.09.2018, thereafter the certificate of incorporation upon the change of name of the company has been issued by the registrar of companies, Kolkata dated 24.10.2018 and submitted a copy of NCLT order dated 14.09.2018 and C.O.I. dated 24.10.2018.
3. That on the request of PP and on the basis of due approval by Collector Katni and Satna, the Mineral Resource Department Govt. of Madhya Pradesh vide order no. 1879/1354/2019/12/2, dated 08.05.2020 changed the name of the company from M/S S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited in all the mining leases granted in district Katni and Satna.
4. That in compliance to order of State Govt., the supplementary agreement executed on 25.11.2020 duly approved by Collector Satna and from that date lease holder's name in Mining leases changed from M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited.
5. That no other change has occurred except the constitution of the company from public limited to private limited and the Board of Directors there to remain the same.
6. That undertaking for compliance of the EC conditions granted to M/s S.N.S. (Minerals) Limited is enclosed.
7. That no objection for change in name from M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited is enclosed by Shri S.P. Tiwari, Director .N.S. (Minerals) Private Limited.

In view of the above PP requested to amend the name of the company from M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited in the Prior EC Letter No. 3380/SEIAA/15 dated 04.02.2015 issued by SEIAA.

The committee after detailed examination of information submitted by PP and discussion decided to amend the name of company M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited in the Prior EC Letter No. 3380/SEIAA/15 dated 04.02.2015 issued by SEIAA. The other terms and conditions of the EC letter shall remain the same. Copy to PP and all concerned.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 675 वी बैठक दिनांक 08.04.2021 कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र. 1 में जमुनी कला लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान ग्राम जमुनी कला, तहसील विजयराघौगढ, जिला कटनी के स्थान पर त्रुटिवश भटूरा लाईमस्टोन ग्राम भटूरा, तहसील मैहर जिला सतना अंकित हो जाने के कारण पत्र जारी नही किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 22.12.2022 के माध्यम से उक्त प्रकरण के कार्यवाही विवरण में संशोधन करतें हुये संशोधन पत्र का जारी करने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में SEIAA की 675वी बैठक दिनांक 08.04.2021 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र. 1 में भटूरा लाईमस्टोन ग्राम भटूरा, तहसील मैहर जिला सतना के स्थान पर जमुनी कला लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान, ग्राम जमुनी कला, तहसील विजयराघौगढ, जिला कटनी पठन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. **प्रकरण क्र. 1726/2013 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एन.एस., (मिनिरल्स) प्रा. लि. श्री हिमान्शु कोठारी कार्यपालन संचालक, पता एन.एच.–7 रीवा रोड, पोस्ट मैहर जिला सतना (म.प्र)– 485771, द्वारा जमुनवानी खुर्द लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2,00000 टन प्रतिवर्ष रकबा 7.89 हेक्टेयर, खसरा 7पी, 8,9,10, 11पी ,12,13, 14पी, 16पी, 17 ग्राम जमुनवानी खुर्द, तहसील विजयराघौगढ, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन।**

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 675 वी बैठक दिनांक 08.04.2021 :

This is a case of amendment in the name of a company in the Prior EC Letter. Shri S.P. Tiwari, Director, M/s S.N.S. (Minerals) Pvt. Ltd., N.H.-7, Rewa Road, P.O. Maihar, Dist-Satna (MP) vide letter no. nil dated 22.03.2021 has informed that:

1. **The Prior EC Letter for Mining Lease of Bhatoora Limestone Mine at Village-Bhatoora, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP) granted to M/s S.N.S. (Minerals) Pvt. Ltd., N.H.-7, Rewa Road, P.O. Maihar, Dist-Satna (MP) vide Letter No. 3165/SEIAA/16 dated 16.08.2016.**
2. That the constitution of the company has changed form public limited to private limited and as such the name of the company has been changed form M/s S.N.S. (Minerals) Limited to S.N.S. (Minerals) Private Limited with due approval from shareholders and National Company Law Tribunal vide order dated 14.09.2018, thereafter the certificate of incorporation upon the change of name of the company has been issued by the registrar of companies, Kolkata dated 24.10.2018 and submitted a copy of NCLT order dated 14.09.2018 and C.O.I. dated 24.10.2018.
3. That on the request of PP and on the basis of due approval by Collector Katni and Satna, the Mineral Resource Department Govt. of Madhya Pradesh vide order no. 1879/1354/2019/12/2, dated 08.05.2020 changed the name of the company from M/S

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited in all the mining leases granted in district Katni and Satna.

4. That in compliance to order of State Govt., the supplementary agreement executed on 25.11.2020 duly approved by Collector Satna and from that date lease holder's name in Mining leases changed from M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited.
5. That no other change has occurred except the constitution of the company from public limited to private limited and the Board of Directors there to remain the same.
6. That undertaking for compliance of the EC conditions granted to M/s S.N.S. (Minerals) Limited is enclosed.
7. That no objection for change in name from M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited is enclosed by Shri S.P. Tiwari, Director .N.S. (Minerals) Private Limited.

In view of above PP requested to amend the name of the company from M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited in the Prior EC Letter No. 3165/SEIAA/16 dated 16.08.2016 issued by SEIAA.

The committee after detailed examination of information submitted by PP and discussion decided to amend the name of company M/s S.N.S. (Minerals) Limited to M/s S.N.S. (Minerals) Private Limited in the Prior EC Letter No. 3165/SEIAA/16 dated 16.08.2016 issued by SEIAA. The other terms and conditions of the EC letter shall remain the same. Copy to PP and all concerned

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** की 675 वी बैठक दिनांक 08. 04.2021 कार्यवाही विवरण के बिन्दु क. 1 में जमुनवानी खुर्द लाईमस्टोन खदान ग्राम जमुनवानी खुर्द, तहसील विजयराघौगढ, जिला कटनी के स्थान पर त्रुटिवश भटूरा लाईमस्टोन ग्राम भटूरा , तहसील मैहर जिला सतना अंकित हो जाने के कारण पत्र जारी नही किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 22.12.2022 के माध्यम से उक्त प्रकरण के कार्यवाही विवरण में संशोधन करतें हुये संशोधन पत्र का जारी करने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में SEIAA की 675वी बैठक दिनांक 08.04.2021 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क. 1 में भटूरा लाईमस्टोन ग्राम भटूरा, तहसील मैहर जिला सतना के स्थान पर जमुवानी खुर्द लाईमस्टोन खदान ग्राम जमुवानी खुर्द, तहसील विजयराघौगढ, जिला कटनी पठन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 9251/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दिपांशु साहू आत्मज श्री पवन साहू, निवासी 305, गोहलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 70,003 व मुरूम 17,501 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.20 हेक्टेयर, खसरा 18, 19, 24, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 द्वारा SEAC की 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में (परिशिष्ट–डी) एवं अतिरिक्त शर्तों के साथ पत्र क्र. 1098 दिनांक 14.07.2022 द्वारा ToR जारी किया गया है:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 18.03.2023 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी ToR दिनांक 14.07.2022 में परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री दिपांशु साहू के स्थान पर दीपेन्द्र साहू अंकित हो गया है जिसे श्री दीपांशु साहू अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों (लीज स्वीकृत आदेश, माईनिंग प्लान, एकल प्रमाण पत्र इत्यादि) का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक का नाम दीपांशु साहू है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी ToR पत्र में परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री दीपेन्द्र साहू के स्थान पर श्री दिपांशु साहू पठन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. **प्रकरण क्र. 9030/2022** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैग्नीज ओर (इंडिया) लि., मायल भवन, 1 –ए कटोल रोड नागपुर (महाराष्ट्र) मैग्नीज ओर माइन, उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 500 टी.पी.ए, खसरा न. 157, रकबा 0.789 हेक्टेयर, ग्राम भरवेली तहसील व जिला –बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 710वी बैठक दिनांक 08.03.2022 द्वारा SEAC की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में (परिशिष्ट–डी) एवं अतिरिक्त शर्तों के साथ पत्र क्र. 3434 दिनांक 17.03.2022 द्वारा ToR जारी किया गया है:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी ToR दिनांक 17.03.2022 में उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 500 टी.पी.ए के स्थान पर उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 200 टी.पी.ए अंकित हो गया है जिसे 500 टी.पी.ए. किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों (ऑनलाईन फार्म, माईनिंग प्लान, पीएफआर एवं SEAC की अनुशंसा इत्यादि) का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 500 टी.पी.ए है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी ToR पत्र में उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 200 टी.पी.ए के स्थान पर उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर– 500 टी.पी.ए पठन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

22. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 अनुसार कोविड–19 महामारी के कारण पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि के संबंध में निर्णय बावत्।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राईजेज़, प्रोपराईटर, श्री आनंद ताम्रकार एवं मेसर्स मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, द्वारा ईमेल दिनांक 27.03.2023 के माध्यम से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा छतरपुर जिले मे रेत खनन हेतु पूर्व में हस्तांतंरित पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 अनुसार :–

(ii) for paragraph 9A, the following paragraph shall be substituted namely:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

हस्तांतारित पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता 30 जून 2023 तक करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा उपरोक्त के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि **ऐसे समस्त प्रकरण जिनकी वैधता अवधि कोविड काल की वजह से प्रभावित हुई है उन्हें भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 अनुसार मान्य वैधता अवधि अथवा Letter of Intend (LOI) की समयावधि में से जो भी पहले हो तक मान्य होगी।**

प्राधिकरण द्वारा निर्णित उक्त कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेशों एवं निर्देशों के अध्याधीन रहेगीं। इस निर्णय के संबंध में कार्यालयीन ज्ञापन जारी कर MP-SEIAA की बेवसाईट पर अपलोड किया जाये एवं समस्त जिला कलेक्टर को भी सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
2. SEIAAद्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CERएवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण(एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (**L Wave**) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (**Delayed Detonator**) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष